

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2018 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार बनाम
मिश्र, प्रवर्तन अधिकारी,
भीलवाड़ा

1. महेश सिंधी पुत्र ओडरमल सिंधी
निवासी फुलियागेट रोड शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा मालिक नरेश
रेस्टोरेन्ट , बस स्टैण्ड, भीलवाड़ा
देवली रोड, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
-विपक्षी

-प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी अधिवक्ता – उपस्थित

निर्णय

दिनांक 28.03.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरुद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक 13 दिनांक 03.04.2018 के क्रम में दिनांक 12.04.2018 को अमरेन्द्र कुमार मिश्र प्रवर्तन अधिकारी, रवि जाधव प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री योगिता कंवर प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय द्वारा नरेश रेस्टोरेन्ट , बस स्टैण्ड, भीलवाड़ा देवली रोड, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर महेश सिंधी पुत्र ओडरमल सिंधी निवासी फुलियागेट रोड, शाहपुरा मिले। जिन्होंने स्वयं को नरेश रेस्टोरेन्ट, बस स्टैण्ड, भीलवाड़ा देवली रोड, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का मालिक होना बताया। मौके पर दो 14.2 किग्रा. वाले घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 चूल्हा मय रेगूलेटर मिले। मौके पर आरोपी द्वारा उल्लेखित सिलेण्डरों के कागजात पेश नहीं किये गये। निरीक्षण के दौरान आरोपी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 40171 को रेगूलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से गैस चूल्हे से जोड़कर चाय बनाकर उसका उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाना पाया गया। दूसरा घरेलू गैस सिलेण्डर नम्बर 400026 का भी अवैध भण्डारण पाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवैध भण्डारण एवं गैर कानूनी ढंग से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना पाया गया। अतः मौके से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 15.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 चूल्हा, रेगूलेटर, रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री पवन कुमार पुत्र कन्हैयालाल रेगर निवासी ज्योति नगर आसीन्द रोड शाहपुरा हाल कर्मचारी शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स शाहपुरा को सुपुर्दगी में दिये गये। चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। जिससे जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 15.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चूल्हा मय रेगूलेटर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश हुआ।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेश क्रमांक 13 दिनांक 03.04.2018 के क्रम में दिनांक 12.04.2018 को अमरेन्द्र कुमार मिश्र प्रवर्तन अधिकारी, रवि जाधव प्रवर्तन अधिकारी, सुश्री योगिता कंवर प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय द्वारा नरेश रेस्टोरेन्ट, बस स्टैण्ड, भीलवाडा देवली रोड, शाहपुरा जिला भीलवाडा का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर महेश सिंधी पुत्र ओडरमल सिंधी निवासी फुलियागेट रोड, शाहपुरा मिले। जिन्होंने स्वयं को नरेश रेस्टोरेन्ट, बस स्टैण्ड, भीलवाडा देवली रोड, शाहपुरा जिला भीलवाडा का मालिक होना बताया। मौके पर दो 14.2 किग्रा. वाले घरेलू गैस सिलेण्डर व 01 चूल्हा मय रेगूलेटर मिले। मौके पर आरोपी द्वारा उल्लेखित सिलेण्डरों के कागजात पेश नहीं किये गये। निरीक्षण के दौरान आरोपी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर क्रमांक 40171 को रेगूलेटर एवं रबर पाईप के माध्यम से गैस चूल्हे से जोड़कर चाय बनाकर उसका उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाना पाया गया। दूसरा घरेलू गैस सिलेण्डर नम्बर 400026 का भी अवैध भण्डारण पाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस का अवैध भण्डारण एवं गैर कानूनी ढंग से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना पाया गया। अतः मौके से 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 15.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 चूल्हा, रेगूलेटर, रबर पाईप जब्त सरकार किया जाकर श्री पवन कुमार पुत्र कन्हैयालाल रेगर निवासी ज्योति नगर आसीन्द रोड शाहपुरा हाल कर्मचारी शाहपुरा गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स शाहपुरा को सुपुर्दगी में दिये गये। चूंकि आरोपी द्वारा एल.पी.जी. ऑर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। जिससे जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 15.4 किग्रा

द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चूल्हा मय रेगूलेटर को राजसात करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस का व्यावसायिक कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 15.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चूल्हा मय रेगूलेटर को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 15.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चूल्हा मय रेगूलेटर को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 15.4 किग्रा द्रवित पेट्रोलियम गैस, 01 गैस चूल्हा मय रेगूलेटर का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा (राज.)